न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/2/2025	2025/23	07.01.2025	03.07.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. चैचू पुत्र नांसी जाति भंगी सा0 धोलीदूब तहसील व जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

—:निर्णयः—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम टोडियार तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न0 783 रकबा 0.51 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 783 रकबा 0.51 है0, भूमि वाके ग्राम टोडियार तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का कस्बाडहरा की रिपोर्ट दिनांक 06.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायलय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी खसरा नंबर 783 रकबा 0.51 है0 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम टोडियार का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील के अनुपस्थित। उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा जारी आवंटन आदेश (नियम—15) से अप्रार्थी को आराजी खसरा नंबर 783 रकबा 0.51 है0 भूमि वाके ग्राम टोडियार का कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का कस्बाडहरा दिनांक 06.11.2024 उक्त विवादित आवंटित आराजी खसरा नंबर 783 रकबा 0.51 हैक्टेयर के आवंटी/अप्रार्थी चैचू पुत्र नांसी जाति भंगी सा0 धोलीदूब गैर खातेदार अलोटी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.11.2024 के अनुसार उक्त आराजी पर मौके पर पड़त है। आराजी ख0नं0 783 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम टोडियार के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि उक्त आराजी खसरा नंबर पर गैर खातेदार अलोटी/अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है तथा अन्य दीगर लोगों का कब्जा है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटित आराजी खसरा नंबर 783 रकबा 0.51 है0, हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी/आवंटी द्वारा आवंटन के बाद से आदिनांक तक कृषि हेतु उपयोग में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी/अप्रार्थी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन के बाद कृषि कार्य हेतु काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अप्रार्थी चैचू पुत्र नांसी जाति भंगी सा0 धोलीदूब को आवंटित की गई आराजी खसरा नंबर 783 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम टोडियार की भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)